प्रेस नोट

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के आदेशानुसार श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय (दक्षिणी) के पर्यवेक्षण एंव क्षेत्राधिकारी बाँसगाँव के कुशल निर्देशन में अपराध एंव अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु वाँछित अभियुक्तो के पतारसी सुरागरसी में प्र0नि0 बेलीपार मय हमराह के बाघागाड़ा फोरलेन के निचे मौजूद थे कि ,उ0नि0 चन्द्रभुषण पाण्डेय़ मय हमराह आरक्षी पशुराम मिश्रा मय मुखबिर आकर बताय़े कि थाना स्थानिय पर पंजीकृत 263/19 धारा 394 भादवि0 के अभियुक्त गण व घटना में प्रयुक्त वाहन से कुछ लोग नौसड़ बाघागाड़ा होते हुए बनारस जाने वाले रोड़ से जाने वाले है जिनके पास नशीली दवाए है , जिससे व जहरखुरान का काम करते है। इस सूचना पर प्र0नि0 द्वारा जरिये दुरभाष उ0नि0 अजीत चतुर्वेदी व उ0नि0 रविसेन यादव को तलव कर मकसद से अवगत कराते हुए उचित आड़ लेकर उक्त वाहन का इंतजार करने लगे कि थोड़ी देर में वाहन संख्या UP 53 CN 1015 आता हुआ दिखाई दिय़ा जिसे हम पुलिस वालो द्वारा हिकमत अमली द्वारा रोककर घेरकर पकड़ लिया गया गाडी में अभि0 गोपाल राय पुत्र उदगार राय निवासी बरैय घाट थाना खगड़िय़ा जिला खगड़िया बिहार तथा पिछे सीट पर बैठी नीलम देवी पत्नी राकेश निवासी कोठा थाना खजनी गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया अभि0 गोपाल राय उपरोक्त के कब्जे से एण्टीवान की 19 नशीली गोलीया व ड्राइवर के सीट के नीचे से एण्टीवान नशीली गोली युक्त दुग्ध पाउण्डर तथा अभियुक्ता नीलम देवी उपरोक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 263/19 धारा 394 भादवि0 में लुटे गये 2900 रुपये बरामद हुए उक्त मुकदमे का अनावरण किया गया तथा व 30 एण्टीवान की गोलीया बरामद हुई , अभि0गण पुछने पर बताये कि हम लोग बाहर से आ रहे लोगो को नशीली दवा दुग्ध पाउण्डर में मिलाकर खिलाकर लुटने का काम करते है।अभियुक्तो के समय 07.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। फर्द बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी तथा नशीली गोलीयो के सम्बन्ध में थाना स्थानिय पर मु0अ0सं0 265/19 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तो को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पता :-

1- गोपाल राय पुत्र उदगार राय निवासी बरैय घाट थाना खगड़िय़ा जिला खगड़िया बिहार।
2- नीलम देवी पत्नी राकेश निवासी कोठा थाना खजनी गोरखपुर।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 263/19 धारा 394 भादवि0 थाना बेलीपार, गोरखपुर।
2- मु0अ0सं0 265/19 धारा 8/21/22 NDPS एक्ट थाना बेलीपार गोरखपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1- 900 ग्राम एण्टीवान युक्त दुग्ध पाउण्डर 2- मु0अ0सं0 263/19 धारा 394 भादवि0 में लुटे गये 2900 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या UP 53 CN 1015 HUNDAI i10 कार 3. एण्टीवान की 49 नशीली गोलीयां।

अनावरण मुकदमा

1- मु0अ0सं0 263/19 धारा 394 भादवि0 थाना बेलीपार, गोरखपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1- एसएचओ श्री सन्तोष कुमार सिंह थाना बेलीपार गोरखपुर
2- उ0नि0 श्री रविसेन यादव थाना बेलीपार गोरखपुर

3- उ0नि0 श्री अजीत चतुर्वेदी थाना बेलीपार गोरखपुर

4- उ0नि0 श्री चन्द्रभुषण पाण्डेय थाना बेलीपार गोरखपुर

5- का0 पशुराम मिश्रा थाना बेलीपार गोरखपुर

6- का0 पुनीत चौरसिया थाना बेलीपार गोरखपुर

7- का0 विवेक तिवारी थाना बेलीपार गोरखपुर

8- म0का0 रंजना कुमारी थाना बेलीपार गोरखपुर